Answers to the questions from Sr. No. 1 to Sr. No. 21 are obtained in an interview with Shri Vivek Kumar, Additional Commissioner, GST, Government of U.P. held on 16th July, 2016 by Mr. D.S.Verma, Executive Director- IIA & Editor IIA News.

1– **प्र0**– वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है ?

उ0–यह वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला कर है। जिसमें वर्तमान में लग रहे वैट, प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर, सेन्ट्रल एक्साइज डयूटी आदि कर विलीन हो जाएगे। इससे व्यापारी के अधिकतर कर सम्बन्धी कार्य एक ही जगह हो जाएगे। इसके तीन प्रकार होगें–SGST,CGST तथा IGST । इसमें SGST तथा CGST प्रत्येक प्रान्तीय बिक्री पर लगेगा जबकि IGST केवल विक्रेता तथा खरीददार के अलग–अलग राज्य में स्थित होने पर लगेगा।

2– प्र0–जी0एस0टी0 के मुख्य बिन्दु क्या है ?

उ0–A– वर्तमान में वस्तुओं के निर्माण, पर केन्द्र सरकार सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी लेती है जबकि उनकी बिक्री पर राज्य सरकार वैट आदि लेती है तथा सेवांओ पर केवल केन्द्र सरकार सर्विस टैक्स लेती है।जबकि जी0एस0टी0 में वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर केवल एक कर जी0एस0टी0 ही लगेगा।

B- यह शराब तथा पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़ कर सभी वस्तुओं की आपूर्ति पर लगेगा तथा कुछ सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर आरोपित होगा।

3–प्र0–जी0एस0टी0 से व्यापारी को क्या फायदा होगा ?

उ0–A–जी0एस0टी0 से पूरा देश एक बाजार बन जायेगा अर्थात कर की दरें पूरे देश में लगभग एक समान होगी।

B–पूरे देश में जी0एस0टी0 का लगभग एक जैसा कानून होगा। अतः अलग–अलग राज्यों के अलग–अलग नियमों से छुटकारा मिलेगा।

C-पूरा देश खुला बाजार होगा तथा केवल बिलो पर ही माल का परिवहन होगा अतः आयात घोषणा पत्र आदि समाप्त हो जाएगे।

D-अभी तक व्यापारी को केवल अपने प्रदेश से खरीदे गए माल पर ही आई0टी0सी0 मिलती है। जी0एस0टी0 में पूरे देश में कहीं से भी माल अथवा सेवा लिए जाने पर आई0टी0सी0 मिलेगी।

E-जी0एस0टी0 के समस्त कार्य ऑनलाईन ही हो जाने के कारण व्यापारी को किसी सरकारी कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

4–प्र0– जी0एस0टी0 में समस्त काम ऑनलाईन करना होगा। इसे आम व्यापारी कैसे कर पाएगा ?

उ0–यदि व्यापारी इसे स्वयं या अपने कर्मचारी के माध्यम से कराने में समर्थ है तो वह सीधे जी0एस0टी0एन0 की वेबसाइट पर जाकर कर पाएगा। यदि वह स्वयं नही करना चाहता तो सरकार द्वारा टैक्स रिर्टन प्रिपेयरर की भी सुविधा दी गई है। जिनके माध्यम से व्यापारी अपने काम कर सकेगा। इसके अतिरिक्त सुविधा केन्द्र भी उपलब्ध रहेगें। जिनके द्वारा व्यापारी अपना समस्त कार्य करा सकेगा। अधिवक्ता, सी0ए0 आदि से सहयोग लेने की पुरानी व्यवस्था भी रहेगी।

5–प्र0–यह कहा जा रहा है कि जी0एस0टी0 में प्रत्येक व्यापारी को मासिक तीन या चार रिर्टन दाखिल करने होगे?

उ0–यह बात सही नहीं है। सामान्य व्यापारी को केवल एक रिर्टन दाखिल करना होगा जो अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना होगा। व्यापारी को अपनी इनवायसवार बिक्री 10 तारीख के पहले एक बार में अथवा कई बार में ऑनलाईन जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर दाखिल करनी होगी अथवा इसे आफॅलाईन बनाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विक्रेता व्यापारी द्वारा दाखिल बिक्री सूची के आधार पर सिस्टम द्वारा व्यापारियों की खरीद सूची तैयार कर दी जाएगी तथा यह क्रेता व्यापारी को सिस्टम पर उपलब्ध होगी। क्रेता व्यापारी खरीद सूची को संशोधित कर सकता है, उसमें कोई छूटी हुई खरीद अंकित कर सकता है अथवा कोई खरीद उससे सम्बन्धित होने से मना कर सकता है। क्रेता व्यापारी द्वारा किए गए संशोधन की सूचना विक्रेता व्यापारी को सिस्टम से पहुचेगी तथा वह उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यह समस्त प्रक्रिया 17 तारीख तक पूर्ण करनी होगी तथा इसके बाद कर का भुगतान कर 20 तारीख तक रिर्टन दाखिल करना होगा।

6–प्र0– क्या SGST,CGST,IGST का भुगतान अलग–अलग करना होगा और यदि हाँ तो किस प्रकार से ?

उ0–SGST,CGST तथा IGST का भुगतान ऑनलाइन जी0एस0टी0 पोर्टल पर एक ही चालान से होगा जिसमें इसकी अलग–अलग मदें उल्लिखित होगी ।

7–प्र0–क्या जी0एस0टी0 में केवल ऑनलाईन पेमेन्ट ही हो पाएगा ? छोटे व्यापारियों को असुविधा होगी।

उ0– व्यापारी को डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड, RTGS/NEFT,तथा ऑनलाईन बैकिंग द्वारा टैक्स पेमेन्ट की सुविधा होगी। व्यापारियों द्वारा छोटी धनराशि का नकद अथवा चेक से भुगतान जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल से प्राप्त टोकन न0ं के आधार पर बैंक के काउन्टर पर भी हो सकेगा।

8–प्र0– क्या वैट के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों को भी जी0एस0टी0 में नया पंजीयन लेना पड़ेगा ?

उ0–नहीं, पूर्व में पंजीकृत व्यापारियों को जी0एस0टी0 लागू होने पर छः माह हेतु अस्थायी पंजीयन जारी कर दिया जाएगा तथा इस अवधि में ही माँगी गई सूचनाए ऑनलाईन भर देने पर पंजीयन स्थायी हो जाएगा।

9–प्र0– क्या जी0एस0टी0 हेतु पैन नं0 होना अनिवार्य है ?

उ0–हाँ, जी0एस0टी0 में प्राप्त होने वाला पंजीयन नं0 GSTIN पैन आधारित ही होगा। 15 अंको के इस नं0 में दस अंक पैन (PAN) के ही है। अतः प्रस्तावित मॉडल जी0एस0टी0 एक्ट द्वारा पैन होना अनिवार्य कर दिया गया है।

10–प्र0–जी0एस0टी0 में पंजीयन की क्या व्यवस्था है ?

उ0–पंजीयन आनलाईन मिलेगा तथा तीन दिन में कोई कमी सूचित न किये जाने पर अपने आप मिल जाएगा।

11–प्र0– जी0एस0टी0 में पंजीयन हेतु क्या कोई न्यूनतम टर्नओवर की सीमा है ?

उ0–वर्तमान प्रस्तावित मॉडल जी0एस0टी0 एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति 9 लाख रू0 (नौ लाख) का टर्नओवर हो जाने पर ही अग्रिम रूप से स्वयं को पंजीकृत करा सकता है परतु उसका कर दायित्व 10 लाख रू0 (दस लाख) का टर्नओवर हो जाने के बाद ही प्रारम्भ होगा।

12–प्र0–यदि वार्षिक टर्नओवर जी0एस0टी0 की पंजीयन सीमा से नीचे है क्या तब भी पंजीयन लिया जा सकता हैं ?

उ0–हाँ, कोई भी व्यापारी पंजीयन सीमा से नीचे होने पर भी स्वैच्छिक पंजीयन ले सकता है।

13–प्र0–छोटे व्यापारी जो बड़े स्तर पर हिसाब–किताब रखने में असमर्थ है, क्या उनके लिए भी जी0एस0टी0 में कोई सुविधा है ?

उ0– हाँ, एक निश्चित टर्नओवर से नीचे के व्यापारी समाधान योजना का लाभ ले सकेगें। जिसमें उन्हें टर्नओवर पर एक निश्चित प्रतिशत कर देकर निश्चिन्तता मिल सकेगी।

14–प्र0–क्या जी0एस0टी0 में व्यापारी को कोई छोटी गलती करने पर भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा ?

उ0–नहीं, प्रस्तावित मॉडल जी0एस0टी0 एक्ट के अनुसार यदि किसी व्यापारी द्वारा 25 लाख रु0 से अधिक की करापवचना का सम्पूर्ण साक्ष्य है तभी ऐसा किया जा सकेगा तथा इसके लिए भी कमिश्नर की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।

15–प्र0–क्या जी0एस0टी0 में भी प्रतिवर्ष कर निर्धारण होगा ?

उ0–जी0एस0टी0 में पूर्णतया स्वः कर निर्धारण की व्यवस्था लागू है तथा यदि जांचोपरान्त किसी व्यापारी के विरूद्ध कोई साक्ष्य पाया जाता है तभी उस पर किसी कर निर्धारण की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी। कुछ व्यापारियों को रिस्क पैरामीटर के आधार पर ऑडिट के लिए चिन्हित किया जाएगा।

16–प्र0–जी0एस0टी0 में कौन–कौन से कर समाहित होगें ?

उ0– जी0एस0टी0 में केन्द्र के निम्न कर समाहित होगें।

1-Central Excise duty

2-Duties of Excise (Medicinal and Toilet Preparations)

3-Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance)

4-Additional Duties of Excise (Textiles and Textile products)

5-Additional Duties of Excise (Commonly known ad CVD)

6-Special Additional Duties of Customs (SAD)

7-Service Tax

जी0एस0टी0 में राज्य के निम्न कर समाहित होगें।

1-State VAT

2-Central Sales Tax

3-Luxury Tax

4-Entry Tax in lieu of octroi

5-Entertainment Tax(not levied by the local bodies)

6-Taxes on advertisements

7-Purchase Tax

8-Taxes on lotteries, betting and gambling

9-State cesses and surcharges insofar as they relate to supply of goods and services

17–प्र0–क्या कैपिटल गुडस पर आई0टी0सी0 देय होगी ?

उ0–कैपिटल गुड्स पर पूर्ण I.T.C.का लाभ केन्द्र सरकार के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार दिया जाएगा।

18–प्र0–जी0एस0टी0 में रिफंड की क्या व्यवस्था की गई है ?

उ0–रिफन्ड आवेदन के लिए समय सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है। दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ आनलाईन रिफन्ड आवेदन होगा तथा रिफण्ड बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आवेदक के बैक खाते में जाएगा। रिफन्ड पर आवेदन प्राप्ति के 90 दिनों के अन्दर निर्णय ले लिया जाएगा अन्यथा ब्याज देय है।

19–प्र0–क्या रिफंड के मामले में निर्यातको को कोई अतिरिक्त सुविधा दी गई है?
उ0–इन मामलों में रिफन्ड आवेदन पर 80% का भुगतान अस्थायी तौर पर बिना प्रमाणों के सत्यापन किए ही कर दिया जाएगा।

20–प्र0– जी0एस0टी0 में निर्यातको को क्या सुविधाएं उपलब्ध होगीं ?

उ0–निर्यात पर करदेयता शून्य होगी परन्तु पूर्व खरीदों पर आई0टी0सी0 अनुमन्य होगी तथा इस आई0टी0सी0 को प्रत्येक टैक्स पीरियड में रिफंड किया जाएगा।

21–प्र0–जी0एस0टी0 में ई–कामर्स के लिए क्या प्राविधान किए गये हैं ?

उ0–ई–कामर्स कम्पनियों द्वारा अपने ऑनलाईन प्लेटफार्म से की जा रही आपूर्ति पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर स्रोत पर ही कर कटौती कर ली जाएगी किन्तु वास्तविक कर देयता विक्रेता व्यापारी पर ही होगी।